न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 70 / 2021

प्रार्थीः–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. मोतीलाल चौहान पुत्र श्री मैगाराम जाति माली निवासी घोड़ावट हाल निवास प्लॉट नम्बर 63 सर्किट हाउस रोड़ इस्ट पटेलनगर जोधपुर जिला जोधपुर		1. तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री मधुसुदन चौधरी – वकील प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक 12.07.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम घोड़ावट की राजस्व सीमा में स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है –

खाता सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
309	343 / 16	0.3236 हेक्टेयर	बारानी चतुर्थ
310	343 / 17	0.3236 हेक्टेयर	बारानी चतुर्थ
325	343 / 18	0.3236 हेक्टेयर	बारानी चतुर्थ

उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी संलग्न पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी अमर केरड़ा से खवासपुरा जाने वाले कटापी रास्ता के चिपती पश्चिम तरफ स्थित है। प्रार्थी की उक्त तीनों खसरान एक चक के रूप में विद्यमान है तथा चारों तरफ पत्थरों की चुनाई करके चार दिवारी की हुई है। प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी खातेदार की हैसियत से काबिज है। प्रार्थी अपनी आराजी में अमर केरड़ा से खवासपुरा जाने वाले कटाणी रास्ता से होकर आजा जाता है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा कटाणी रास्ता के चिपते पश्चिम तरफ है। प्रार्थी ने अभी हाल ही में राजस्व ट्रेस नक्शा की नकल प्राप्त की जिसमें प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के तीनों खसरान की तरमीम गलत रूप से की हुई पायी तथा खसरा नम्बर 343 / 34 में पश्चिम तरफ ऑनलाईन तरमीम करते समय गलत रूप से कर दी गयी जबकि खसरा नम्बर 343 / 34 में पूरब तरफ कटाणी रास्ता के चिपते प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी आयी हुई है। प्रार्थी ने ऑनलाईन गलत तरमीम दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने कहा कि ऑनलाईन तरमीम होते समय प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी की तरमीम भी गलत हो गयी जिसकी दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से करवानी पड़ेगी इस पर प्रार्थी ने दिनांक 12.04.2021 को प्रमाणित नकले प्राप्त कर आज ही वादग्रस्त आराजी के नक्शा में तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार (लाल स्याही) से दर्शाये अनुसार ही तरमीम दुरूस्ती की जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी अपनी वादग्रस्त

आराजी का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी की ऑनलाईन तरमीम करते समय प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की तरमीम गलत रूप से कर दी गयी जबकि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार आयी हुई है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। गै. मु. कटाणी रास्ता के चिपते पश्चिमी तरफ वादग्रस्त आराजी आयी हुई है। वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ प्रार्थी ने सुखे पत्थरों की चुनाई करके चार दिवारी निर्माणी करवायी लेकिन ऑनलाईन तरमीम करते समय वास्तविक जगह तरमीम नहीं की जाकर गलत रूप से तरमीम हो गयी जो प्रार्थी तरमीम दुरूस्त करवाकर मौके पर प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार तरमीम करवाने का हकदार है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी ग्राम घोड़ावट की सीमा में स्थित होने से प्रार्थना–पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरूस्त फरमायी जाकर गै. मु. कटाणी रास्ता के चिपती पश्चिमी तरफ संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद संख्या 70/2021 के तहत खसरा नम्बर 343/16, 343/17, 343/18 वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 309 ख.न. 343/16, खाता सं. 310 ख.नं. 343/17, खाता सं. 325 ख.नं. 343/18 ग्राम घोड़ावट में खातेदार मोतीलाल चौहान पुत्र मंगाराम जाति माली के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 343/16, 343/17, 343/18 की तरमीम राजस्व रेकार्ड में DILRMP योजना के तहत की गई थी, जिसका ऑनलाईन नक्शा की प्रति साथ में संलग्न है, जो कि (खसरा नं. मूल 343) के खसरा नम्बर 343/34 के पश्चिम दिशा में अंकित है। नक्शा की प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थी मोतिलाल चौहान द्वारा वाद में वर्णित अनुसार उक्त खसरा नम्बरों की तरमीम शुद्धि करवाने हेतु खसरा नम्बर 343/34 के पश्चिमी दिशा से हटाकर खसरा नम्बर 343/43 के पूर्वी दिशा में वाद के साथ संलग्न ऑनलाईन नक्शा की प्रति में लाल स्याही से अंकित अनुसार वाद प्रस्तुत किया है। ख.नं. 343/34 में करवाने बाबत्। खसरा नं. 343/34 रकबा 53.1918 है। मारवाड़ सिमेन्ट लिमिटेड निदेशक राजकुमार पुत्र पी.एन.सिंह पट्‌टेदार के नाम से ग्राम घोड़ावट के खाता संख्या 436 में दर्ज है। निदेशक राजकुमार सिंह ने उक्त खसरा नम्बर की तरमीम शुद्धि खसरा नम्बर 343/34 में करने हेतु सहमति जताई है। खसरा नम्बर 343/34 में वाद में अंकित प्रस्तावित तरमीम शुद्धि की भूमि पर प्रार्थी मोतीलाल चौहान का कब्जा है एवम् वर्तमान में काबिज है। एवं ख. नं. 343/16, 343/17, 343/18 की तरमीम की जगह मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड का कब्जा है। खसरा नम्बर 343/16, 343/17, 343/18 की पूर्व में की गई। नवीन प्रस्तावित तरमीत का नजरी नक्शा तैयार किया गया।

इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर, भू.अ.निरीक्षक चौकड़ी कलां, एवं भू.अ.निरीक्षक बोरून्दा संयुक्त रूप से जांच कर मौका करने हेतु निर्देशित किये जाने पर दिनांक 06.07.

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि – मौके पर न्यायालय पीपाड़ शहर में विचाराधीन प्रकरण सं. 70/2021 अनवान मोतीलाल चौहान बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 131, 136 LR Act का मौका देखा गया। मौके के अनुसार ख.न. 343/16, 343/17 व 343/18 मारवाड़ सीमेण्ट लिमिटेड के परिक्षेत्र में स्थित है एवम् मौके पर खाली है जिसे वर्तमान नक्शाशीट से खं. नं. 343/1 के उत्तरी तरफ प्रस्तावित करना चाहते है जो भी मौके पर खाली है एवम् मारवाड़ सीमेण्ट लिमिटेड के परिक्षेत्र में ही स्थित है। मारवाड़ सीमेण्ट लिमिटेड द्वारा उक्त खसरान की तरमीम वांछित जगह पर किये जाने का एनओसी जारी की हुई है।

हमने बहस वकुलाय सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी की ऑनलाईन तरमीम करते समय प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की तरमीम गलत रूप से कर दी गयी। जबकि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया अनुसार आयी हुई है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। गै. मु. कटाणी रास्ता के चिपते पश्चिमी तरफ वादग्रस्त आराजी आयी हुई है। वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ सुखे पत्थरों की चुनाई करके वार दिवारी निर्माण करवाया लेकिन ऑनलाईन तरमीम करते समय वास्तविक जगह तरमीम नहीं की जाकर गलत रूप से तरमीम हो गयी। जिसे दुरूस्त की जाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में जवाब दावा के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तरमीम शुद्धि की जाती है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया । बहस पक्षकारान सुनी जाकर ग्राम घोड़ावट के खसरा नं. 343/16, 343/17, 343/18 में की गई वर्तमान तरमीम निरस्त की जाती है। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि जवाब दावा में संलग्न में लाल स्याही से दर्शित नवीन प्रस्तावित भूमि अनुसार तरमीम की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें एवम् तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब को निर्णय का भाग समझा जावें व निर्णय बाद पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 12.07.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर